सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी—बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2018/00050 दर्ज तिथिः—19.01.2018

1. उदाराम पुत्र खेमाराम
   जति जाट निवासी अणखिया पटवार मण्डल नोखडा तहसील गुडामालानी हाल नोखड़ा जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. रिजनल ऑफिसर एयरटेल
   Bharti Hexacom Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur
2. चुनाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी हुडों का तला, नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
3. पूनमाराम पुत्र दीपाराम जाति प्रजापत निवासी बुधराणी हुडों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील सिणधरी हाल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रिड़मलराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालूराम चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—04.12.2025

1. आज यह पत्रावली राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—183, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय पेश हुई। प्रकरण का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादी द्वारा राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा—183, 188 के अन्तर्गत एक राजस्व वाद प्रस्तुत कर निवेदन किया है
   - कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 मौजा अणखिया नोखड़ा तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। वादी की उक्त खातेदारी भूमि का सीमाज्ञान करवाया जाकर नेखमबंदी की हुई है। वादी की उक्त खातेदारी आराजी के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/6 मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा अवस्थित हैं।

- कि प्रतिवादीगण द्वारा वादी के खातेदारी के खेत खसरा संख्या 146/5 में जबरन अनाधिकृत रूप से एक व्यावसायिक मोबाईल टॉवर का निर्माण करना आरंभ किया। इसका वादी द्वारा विरोध किया गया। जिस पर प्रतिवादीगण ने वादी को आश्वस्त किया कि शीघ्र ही मोबाईल टॉवर की निर्माण सामग्री वादी की खातेदारी आराजी से हटा ली जाएगी।
- इस पर वादीगण द्वारा दायर नेखमबंदी आवेदन को न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा स्वीकार किया जाकर नेखमबंदी करने हेतु तहसीलदार सिणधरी को दिनांक 29.08.2012 को आदेशित किया गया। जिसकी पालना में तहसीलदार सिणधरी द्वारा दिनांक 02.07.2014 एवं 24.05.2016 को मौका निरीक्षण एवं मौका जमीन नापकर व सीमाज्ञान कर नेखमबंदी करते हुए फर्द मौका, नक्शा तैयार किया। उक्त नेखमबंदी से वादीगण के खसरा संख्या 146/5 में पड़ौसी खसरा संख्या 146/6 के खातेदार प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा आंशिक भाग 60 गुणा 60 वर्गफिट पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा पाया गया।
- कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को अपना अवैध कब्जा हटाने हेतु कहा गया। परंतु प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा आंशिक भाग 60 गुणा 60 वर्गफिट पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा हटाने से मना कर दिया। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि की जबरन कब्जा किया गया हैं। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की खातेदारी भूमि पर अपना अनाधिकृत कब्जा कर वादी के कब्जा काश्त की भूमि को अपनी भूमि बताकर अवैध कब्जा किया गया है तथा वादी की खातेदारी भूमि पर निर्माण कार्य करने पर आमादा है। यदि प्रतिवादीगण अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं तो वादी को अपूरणीय क्षति होगी।
- इस कारण वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा आंशिक भाग 60 गुणा 60 वर्गफिट पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री करने का निवेदन किया।

2. दावा पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्तागण हाजिर न्यायालय हुए तथा वादी के वाद पत्र का जबाव पेश कर निवेदन किया—

- प्रतिवादी संख्या 01 ने निवेदन किया कि प्रतिवादी संख्या 01 एक पंजीकृत कंपनी है। जो की अति आवश्यक सेवा की परिभाषा के अंतर्गत आते हुए दूर—संचार सेवाएं उपलब्ध करवाती है।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 मौजा अणखिया के खातेदार चूनाराम वल्द मूलाराम की खातेदारी के खेत संख्या 146/6 पर खातेदार द्वारा बताए गए स्थान पर टॉवर का निर्माण कर दूर—संचार सेवाएं उपलब्ध करवा रहा है। उक्त मोबाईल टॉवर

Signature Not Verified
Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

खसरा संख्या 146/6 में ही अवस्थित है। इस संबंध में तहसीलदार कार्यालय की रिपोर्ट व दस्तावेज संलग्न है।

- कि प्रतिवादी के मौके पर मोबाईल टॉवर लगाते समय किसी व्यक्ति द्वारा कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की। साथ ही वादी को अपनी खातेदारी के नेखमबंदी करवाए 07 वर्ष व्यतीत हो चुके है। इस प्रकार वादी द्वारा बहुत देरी से यह दावा प्रस्तुत किया है। इस कारण वादी का दावा उक्त आधारों पर काबिल—ए—खारिज है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिनिधि को खसरा संख्या 146/6 का ही निरीक्षण करवाया है तथा मोबाईल टावर भी प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की खातेदारी के खसरा संख्या 146/6 पर बना हुआ है। उक्त मोबाईल टॉवर का निर्माण वादी की सहमति से किया गया है। इस प्रकार प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा वादी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं किया गया है।
- कि वादी एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की खातेदारी आराजी का मूल खसरा 146 था। उक्त मूल खसरा के खातेदार से वादी द्वारा करीब 1 बीघा भूमि क्रय की जा कर कब्जा प्राप्त कर लिया। तब से वादी आदिनांक तक समान जगह पर काबिज काश्त है। तत्पश्चात् मूल खातेदार द्वारा करीब 3 बिघा भूमि का बेचान अन्य खातेदारों को किया गया। उक्त 3 बिघा भूमि के खातेदारों से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने भूमि का क्रय किया। तत्पश्चात् प्रतिवादी संख्या 02 व 03 तथा अन्य सहखातेदारों द्वारा सहमति से अपनी आराजी का विभाजन करवा लिया। तत्पश्चात् अन्य खातेदारान द्वारा अपनी आराजी का संपरिवर्तन करवाते हुए गैर कृषि उपयोग कर रहे है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा वादी की सहमति से ही चारदीवारी व मोबाईल टॉवर का निर्माण सन 2024 में करवाया था। इसके साथ ही करीब 25 वर्षों से प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का तथा पूर्व खातेदारों का निर्बाध कब्जा चला आ रहा है। अब वादी उक्त आधारों पर बेदखली करवाने का अधिकारी नहीं है।
- इससे सिद्ध होता है कि प्रतिवादीगण का किसी प्रकार का वादी की जमीन पर कब्जा नहीं है। अतः दावा वादीगण सारहीन होने से खारिज फरमाया जावे।

3. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा जबाव पेश करने के पश्चात निम्न प्रकार तनकीयात कायम किये गये—

1. आया वादी अपनी खातेदारी पर मुताबिक वादपत्र वर्णित रकबे पर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

2. आया वादी अपनी खातेदारी आराजी पर मुताबिक वादपत्र वर्णित रकबे पर प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त कर विरूद्ध प्रतिवादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है।

.....वादी

3. आया प्रतिवादी द्वारा वादी की आराजी पर कोई कब्जा नहीं होने के कारण वादी का अनुतोष पोषणीय नहीं होने के कारण दावा वादी काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

4. आया वादी का दावा मियाद बाहर होने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी

5. अन्य दादरसी

.....उभय—पक्षकारान

4. पत्रावली पर विचारण आंरभ किया गया। प्रकरण में वादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
प्रदर्श—1	तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा नेखमबंदी पालना मय मौका फर्द	पत्रांक/भू.अ./2016/2965 दिनांक 22.07.2016
प्रदर्श—2	प्रकरण संख्या 07/2011 अनवान उदाराम बनाम कलाराम की आदेशिका की प्रमाणित प्रति	पत्रांक/भू.अ./2012/457 दिनांक 30.07.2012
प्रदर्श—3	खसरा संख्या 146/5 जमाबंदी वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	सम्वत 2073—76
प्रदर्श—4	खसरा संख्या 146/5 आंशिक नक्शा ट्रेस वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	1402/18.11.2017
प्रदर्श—5	खसरा संख्या 146/6 जमाबंदी वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	सम्वत 2073—76
प्रदर्श—6	खसरा संख्या 146/6 आंशिक नक्शा ट्रेस वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	1507/03.01.2018
प्रदर्श—7ए	बेचान दस्तावेज जरिये रजिस्ट्री की फोटोप्रति	दस्तावेज संख्या 430/1999 उपपंजीयक गुड़ामालानी दिनांक 15.06.1999

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
पी. डब्ल्यू.—1	उदाराम पुत्र खेमाराम जाति जाट	निवासी अणखिया तहसील गुड़ामालानी
पी. डब्ल्यू.—2	खुमाराम पुत्र गिरधारीराम जाति जाट	निवासी अणखिया, नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

6. प्रकरण में उदाराम पुत्र खेमाराम पी0डब्ल्यू–01, खुमाराम पुत्र गिरधारीराम पी0डब्ल्यू–02, द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये–

- कि वादी का खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/5 रकबा 1–00 बीघा मौजा अणखिया पटवार मण्डल नोखड़ा में नोखड़ा गांव की आबादी भूमि के पास मालपुरा–नोखड़ा–आडेल डामर रोड़ के किनारे आया हुआ है। जिसमें वादी को समस्त प्रकार के खातेदारी अधिकार प्राप्त है। उक्त खेत की सक्षम न्यायालय के आदेश से खेत के चारो ओर पक्के नेखम स्थापित किये गये है।
- कि प्रतिवादी संख्या 1 को अपनी कम्पनी के प्रचार–प्रसार हेतु एवं अपने उपभोक्ताओं को मोबाईल सेवा उपलब्ध कराने हेतु मोबाईल टॉवर लगाना था जिसके लिए उन्होंने प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से सम्पर्क किया। वादी की खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/5 के पूर्वी सेढे पर प्रतिवादीगण संख्या 02 व 03 का खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/6 आता है।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने लालच में आकर प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिनिधि के साथ टावर निर्माण स्थल का निरीक्षण कर एवं वादी के खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/5 को अपना खेत बताकर कर उसमें मोबाईल टावर निर्माण हेतु अनुबंध किया। जिसे मैं अनभिज्ञ था।
- कि प्रतिवादी संख्या 01 ने टावर का निर्माण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की देखरेख में करवाना प्रारम्भ किया। उक्त निर्माण की जानकारी वादी को होने पर वादी मौके पर पहुंचा तब प्रतिवादी संख्या 02 व 03 श्रमिकों के साथ मौके पर निर्माण करते हाजिर थे। वादी ने टावर का निर्माण अपने खेत खसरा संख्या 146/5 में होते देख निर्माण कार्य रोकने को कहा तो प्रतिवादी संख्या 02 व 03 लड़ाई करने पर उतारू हो गए एवं नेखमबंदी के नेखम हटाने की धमकी दी गई। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 व पटवारी व सरपंच ने मुझे भ्रमित कर बताया गया कि टावर का निर्माण प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/6 मे ही हो रहा है। निर्माण सामग्री वादी के खेत में है जो कार्य पुरा होने पर हटा ली जायेगी। अतः में वादी ने अपने खेत की नेखमबंदी हेतु न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी में राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम की धारा–28 के अन्तर्गत प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को पक्षकार बनाने का आवेदन पेश किया।
- कि उक्त नेखमबंदी प्रकरण में दिनांक 21.01.2012 को भू0अ0नि0 नौखड़ा ने मौतबिरान की उपस्थिति में पैमाईश रिपोर्ट तैयार की गई जिसमें बताया गया कि वादी के खेत खसरा संख्या 146/5 में 60 वर्गफिट में टावर व चारदीवारी का पक्का निर्माण किया गया है तथा चारदीवारी का कुछ भाग प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खातेदारी खेत संख्या 146/6 में आता है।
- कि उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी ने उक्त पैमाईश रिपोर्ट के आधार पर दिनांक 29.08.2012 को नेखम लगाने के आदेश पारित किये जिसकी पालना में वादी का खेत खसरा संख्या 146/5 पर नेखम लगाए गये। उक्त खेत में प्रतिवादी संख्या 02 व 03 की सहायता से वादी के विरोध के बावजूद टॉवर का निर्माण किया गया जो वादी के खातेदारी खेत पर अतिक्रमण है।
- कि वादी ने प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिनिधि एवं प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से निरन्तर निवेदन के उपरांत भी पक्का निर्माण नही हटाया गया। फलस्वरूप

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

वादी अपनी खातेदारी खेत खसरा संख्या 146/5 में 60 गुणा 60 वर्गफिट अतिक्रमण मुक्त किया जावे।

- इस संबंध में दावे के समर्थन में पैरा संख्या 4 में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रदर्श करवाए है।

7. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—1 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैंने जमीन 1999 में क्रय की थी। उस समय मैंने माप करके तरमीम करवाई थी। एयरटेल का टावर 60 गुणा 60 फिट में लगा हुआ है। 2004 के बाद एयरटेल कम्पनी से मैंने कोई किराया नही लिया। 2004 के बाद एयरटेल कम्पनी से किराया प्रतिवादी संख्या 2 व 3 ले रहे है। मेरा खेत ग्राम अणखिया में है। मेरा खेत अणखिया गावं से 2 किमी दक्षिण दिशा में आया हुआ है। शपथ पत्र गुड़ामालानी में तैयार कराकर मैंने खुद ने पेश किया। दावा मैंने 2011 में लगाया था। अज खुद कहा मैंने कब्जा हटाने का दावा 2018 में पेश किया। यह कहना गलत है कि मैंने नेखमबंदी मेरे खेत की सीमा का ज्ञान कराने के लिए कराई हो। 2004 में टावर बना उसके बाद से 2014 तक मैंने नेखमबंदी के अलावा अन्य कोई दावा पेश नहीं किया। टावर का निर्माण कम्पनी, चूनाराम, पूनमाराम ने मिलकर 2004 में किया था। मैंने जमीन नारणाराम पुत्र गंगाराम से क्रय की थी। सड़क मेरे खेत से दक्षिण दिशा में है।

8. प्रकरण में पी0डब्ल्यू—2 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैं नवी पास हूं। मेरी उम्र 46 साल है। मेरा गावं अणखिया है। उदारामजी मेरे पड़ौस है। मैं आज से पहले कभी कोर्ट में नहीं आया। यह शपथ पत्र उदाराम ने तैयार करवाया। मेरा खेत अणखिाया गांव में है। 11 हली जमीन है। हम दो भाई है। ये कहना सही है जब उदाराम ने खेत क्रय किया तब में साथ में नहीं था। शपथ—पत्र में मेरा नाम मेरो हाथ से लिखा हुआ है। नाम शपथ पत्र तैयार करवाया तब लिखा। इस जमीन टावर का का निर्माण 2004 में किया गया है। इस टावर का निर्माण चूनाराम व पूनमाराम ने करवाया व टावर का किराया भी चूनाराम व पूनमाराम ले रहे है। अज भी मौके पर टावर बना हुआ है। उदाराम की जमीन के खसरा संख्या 145/6 है। इस खसरे में मैंने आज तक खेती करते नहीं देखा।

9. वादी साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादीगण के साक्ष्य में रखी गई। प्रकरण में प्रतिवादी द्वारा प्रकरण में निम्न दस्तावेजी साक्ष्य व प्रदर्श प्रस्तुत किए गएः—

प्रदर्श	दस्तावेज	दिनांक/सम्वंत
1. प्रदर्श डी—1	खसरा संख्या 146/6 जमाबंदी वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	सम्वत 2073—76
2. प्रदर्श डी—2	खसरा संख्या 146/6 आंशिक नक्शा ट्रेस वाके ग्राम अणखिया पटवार हल्का नोखड़ा तहसील गुड़ामालानी	1507/03.01.2018
3. प्रदर्श डी—3	प्रकरण संख्या 1/2009 में नोटिस	दिनांक 27.01.2009 को न्यायालय उप तहसीलदार

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

		सिणधरी द्वारा जारी
4. प्रदर्श डी—4	बेचान दस्तावेज जरिये रजिस्ट्री	दस्तावेज संख्या 97/2002 दिनांक 30.01.2002 उपपंजीयक सिणधरी
5. प्रदर्श डी—5ए	अनुज्ञा पत्र	दिनांक 07.11.2004

10. प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा निम्न गवाह साक्ष्य प्रस्तुत किए गए, जिनकी चीफ करवाकर बयान लेखबद्ध किए जाकर शामिल पत्रावली किए गएः—

क्र.स.	नाम मय वल्दीयत	निवासी
डी. डब्ल्यू.—1	चूनाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट	निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा
डी. डब्ल्यू.—2	पूनमाराम पुत्र दीपाराम जाति प्रजापत	निवासी बुधरोणी हुडो की ढाणी तहसील नोखड़ा
डी. डब्ल्यू.—3	केशाराम पुत्र राजूराम जाति जाट	निवासी हुडों का तला तहसील नोखड़ा
डी. डब्ल्यू.—4	रिड़मलराम पुत्र दीपाराम जाति प्रजापत	निवासी बुधरोणी हुडो की ढाणी तहसील नोखड़ा

11. प्रकरण में चुनाराम पुत्र मूलाराम डी0डब्ल्यू—01, पूनमाराम पुत्र दीपाराम डी0डब्ल्यू—02, केशाराम पुत्र राजूराम डी0डब्ल्यू—03, रिड़मलराम पुत्र दीपाराम डी0डब्ल्यू—04 द्वारा अपने साक्ष्य शपथ पत्र में समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि प्रतिवादी संख्या 01 व 03 की खातेदारी जमीन खसरा संख्या 146/6 रकबा 0—15 बीघा मौजा अणख्या तहसील नोखड़ा में आई हुई है। वादी के खसरा संख्या 146/5 व प्रतिवादी संख्या 02 व 03 के खसरा संख्या 146/6 मूल खसरा संख्या 146 से विभक्त होकर बने है। सर्वप्रथम खसरा संख्या 146 के खातेदार नारणाराम पुत्र गंगाराम जाति जाट निवासी नोखड़ा से वादी ने 1 बीघा भूमि क्रय की थी। जिसका कब्जा वादी को वक्त रजिस्ट्री करवा दिया था। जिस पर वादी बाड़ बनाकर काश्त करना शुरू कर दिया था।
- कि वादी को बेचान के बाद खसरा संख्या 146 के मूल खातेदार नारणाराम द्वारा द्वितीय बेचान सन 1999 को गोमाराम वल्द गेनाराम, भानाराम वल्द मगाराम, गैनाराम वल्द भोजाराम, घमण्डाराम पुत्र जगमालराम को रकबा 03 बीघा भूमि का बेचान किया एवं वक्त बेचान 03 बीघा का कब्जा वादी के सेढ़ा—सेढ़ सुपुर्द किया। तब से लगाकर आज दिन तक प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का 25 वर्षों से निर्बाध रूप से वादी की जानकारी में बिना रोकटोक के कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 द्वारा अपने पूर्वाधिकारी भानाराम पुत्र मगाराम जाति जाट निवासी बुघराणी हुडो की ढाणी से क्रय किया था।
- कि खसरा संख्या 146/6 रकबा 3 बीघा भूमि का प्रतिवादी संख्या 02 व 03 एवं संयुक्त खातेदारों ने सहमति से विभाजन करवाया जिस समय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौका देखकर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का काबिज स्थान

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

पर बंटवाडा किया गया। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 से आगे के खातेदारों ने काबिज स्थान अनुसार संपरिवर्तन करवाकर मौके पर दुकानों व घरों का निर्माण किया जा चुका है। जो संपरिवर्तन मौका देखकर किया गया है।

- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने प्रतिवादी संख्या 01 के प्रतिनिधि को अपने कब्जा सुद भूखण्ड खसरा संख्या 146/6 का निरीक्षण करवाया तथा टॉवर निर्माण का अनुबंध भी खसरा संख्या 146/6 के भू—भाग पर किया गया था। प्रतिवादी संख्या 02 व 03 ने अपने खसरा संख्या 146/6 में टावर निर्माण के वक्त वादी को मौके पर बुलाया एवं सहमति से निर्माण कार्य शुरू किया गया। तत्कालीन समय में पटवारी ने मौके पर आकर निर्माण को खसरा संख्या 146/6 में ही होना बताया था।
- नेखमबंदी की कार्यवाही की सूचना प्रतिवादी संख्या 02 व 03 को नही दी तथा नेखमबंदी की अपीलीय न्यायालय में अपील भी दर्ज करवाई जा चुकी है।
- कि ग्राम अणखिया खसरा संख्या 146/6 पर प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का कब्जा वक्त खरीद से है तथा टावर व चारदिवारी का निर्माण सन 2004 में किया गया है जो वाद पेश करने से 14 साल पूर्व का है। इसलिए वाद कब्जा प्राप्ति का परिसीमा अवधि से बाहर होने से खारिज किया जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का कब्जा खसरा संख्या 146/5 में नही है जबकि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 का कब्जा खसरा संख्या 146/6 की उस भूमि पर है जो वाणिज्यिक प्रयोजनार्थ सक्षम प्राधिकारी की सहमति से उपयोग में लिया गया है। इसलिए उक्त भाग कृषि भूमि नही रहा है इसलिए क्षेत्राधिकार राजस्व न्यायालय में नही होकर सिविल न्यायालय में निहित होने से वाद खारिज किया जावे।
- कि प्रतिवादी संख्या 02 व 03 अपने खातेदारी खसरा संख्या 146/6 पर ही काबिज है जो वक्त रजिस्ट्री से चला आ रहा है। ऐसी स्थिति में वादी न तो कब्जा प्राप्त करवाने का अधिकारी है और न ही स्थायी निषेधज्ञा जारी करवाने का अधिकारी है। वादी का वाद मय खर्चा खारिज किया जावे।
- इस संबंध में प्रतिदावे के समर्थन में पैरा संख्या 9 में अंकित दस्तावेज प्रस्तुत करते हुए प्रदर्श करवाए है।

12. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—01 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैं पाचवी तक पढ़ा लिखा हूं यह बात सही है कि वादी उदाराम ने जमीन हमारे से पहले खरीदी थी। उदाराम ने इस खेत की नेखमबंदी करवाई होगी अज खुद कहा कि मेरी जानकारी में नही है। नेखमबंदी की मौका फर्द देखकर बताया कि चूनाराम ने हस्ताक्षर करने से मना किया यह कहना गलत है। हमारी जमीन खाली नही है अंदर टॉवर बना हुआ है। यह कहना गलत है कि वादी की जमीन में खेती की हुई हो। यह कहना सही है कि हमने हमारी भूमि की नेखमबंदी नही करवाई। अज खुद कहा कि पटवारी से पैमाईश करवाई। यह कहना गलत है कि हमने हमारी भूमि से करार करवाकर वादी की भूमि में टावर का निर्माण करवाया हो। यह कहना गलत है कि वर्तमान में कंपनी टॉवर का किराया हमे नही दे रही है। यह कहना गलत है कि हमे हमारी जमीन के खसरा संख्या याद नही हो। जिसके खसरा संख्या 146/6 है। यह जमीन 15 बिस्वा है। मौका फर्द दिनांक 21.01.2011 में खसरा संख्या 146/5 पर मौके पर 60ग60 का टॉवर व चारदिवारी का पक्का निर्माण किया हुआ है यह कहना सही है। अज खुद

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

कहा कि खसरा संख्या 146/6 में टॉवर व चारदिवारी का निर्माण किया हुआ है। यह कहना गलत है कि जब हम टॉवर का निर्माण कर रहे थे तब वादी ने हमे मना किया। अज खुद कहा कि उदाराम हमारे साथ खड़े थे। उदाराम ने हमारे उपर पुलिस थाना आरजीटी में मुकदमा किया था जो झूठा साबित हुआ। यह कहना सही है कि यह मुकदमा आज भी कोर्ट में विचाराधीन है। अज खुद कहा कि मेरे जानकारी में नही है। यह कहना गलत है कि वादी के खेत में अभी बाजरी बोई हुई हो। वादी उदाराम की जमीन में हमने टावर का निर्माण नही किया है। हमे इस बात का पता लगा ही नही। यह कहना झूठ है कि हमने उदाराम की जमीन में टावर का निर्माण करवाया हो। मैं वादी उदाराम को 25 साल से जानता हूं। यह कहना सही है कि इस भूमि की किस्म कृषि है। यह कहना गलत है कि भूमि एग्रीमेंट के समय कंपनी ने हमें संपरिवर्तन करवाने का कहा हो। अज खुद कहा कि हम अपने स्तर पर संपरिवर्तन करवायेंगे। यह कहना सही है कि तहसीलदार ने हमारे को नोटिस दिया। यह कहना गलत है कि उक्त शपथ पत्र वकील साहब ने लिखा हो। शपथ पत्र मैंने खुद लिखवाया। शपथ पत्र में क्या लिखा हुआ है मुझे सब पता है। जिसमें जमीन का पूरा विवरण लिखा है।

13. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—02 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैं पांचवी तक पढ़ा लिखा हूं। वादी उदाराम को मैं जानता हूं। उदाराम ने मेरे से पहले जमीन खरीदी हो सकती है लेकिन मैंने जमीन सन 2002 में खरीदी है। एयरटेल कंपनी का टॉवर हमने सन 2002 में लगवाया था। यह कहना सही है हमने इस जमीन पर कभी भी खेती नही की थी। यह कहना सही है कि हमने एयरटेल कंपनी से करार किया उसकी दिनांक मुझे याद नहीं है। यह कहना सही है कि आज एयरटेल कंपनी से किराया नही मिलता है। इस जमीन की वादी उदाराम ने पैमाईश करवाई मुझे ध्यान है। मै खुद मौके पर नही था। शपथ पत्र में जो लिखा है वह हमे जानकारी हैं हमने कहा वैसा वकील साहब ने लिखा है। शपथ पत्र कब लिखा गया दिनांक मुझे याद नहीं है। 146/6 खसरा संख्या में मेरे को 21 फुट मेरे हिस्से में आ रही है तथा 21 फुट मेरे सहखातेदार चूनीलाल के हिस्से में आ रही है। टावर जिस जमीन पर बना हुआ है उसके एक हिस्से की लंबाई 60 फिट है। चौड़ाई मुझे याद नहीं है। यह कहना गलत है कि हमने टॉवर वादी उदाराम की भूमि में लगाया हो। यह कहना गलत है कि जब टॉवर बन रहा था तब वादी ने मना किया हो। अज खुद कहा कि 10 साल बाद विवाद हुआ।

14. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—03 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैं पांचवी तक पढा हू। हस्ताक्षर करना जानता हूं। वादी उदाराम को मैं जानता हूं। उदाराम को मैं 40 वर्षों से जानता हूं। प्रतिवादी चूनाराम व पूनमाराम को भी जानता हूं। वादग्रस्त जमीन मेरे देखी हुई है। वादग्रस्त जमीन में एयरटेल कम्पनी का टावर लगा हुआ है। यह कहना गलत है कि इस कोर्ट में आज पहली बार आया हूं। अज खुद कहा कि पहले कई बार आया हुआ हूं। तारीख मुझे याद नहीं है कि कब कब आया। आज से 15 दिन पहले इस कोर्ट में हस्ताक्षर करने आया था। मैं उक्त प्रकरण के संबंध में ही 15 दिन पहले आया था। वादग्रस्त भूमि के खसरा संख्या कितने है मुझे याद नहीं है। पूनमाराम व चूनाराम के टावर लगे हुई जमीन की सड़क पर लंबाई 40 फिट है। वादी उदाराम की सड़क पर जमीन कितनी है मुझे ध्यान नहीं है। यह कहना गलत है कि टावर का निर्माण किया तब मैं गांव में नहीं था। अज खुद कहा कि मैं गांव में ही था गाड़ी चला रहा था। यह कहना भी गलत है कि टावर निर्माण किया तब वादी उदाराम गांव में नहीं था। उदाराम ने अपनी जमीन की पैमाईश करवाई हो तो मुझे पता नही।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

यह कहना गलत है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी पर उदाराम के काश्त की हुई है। यह कहना सही है कि वर्तमान मे टावर बंद पड़ा है। यह कहना गलत है कि जब टावर का निर्माण हो रहा था तब वादी उदाराम ने टावर निर्माण करने के लिए मना किया हो और जबरदस्ती बनाया हो। शपथ पत्र कौनसी दिनांक को पेश किया मुझे दिनांक याद नहीं है। शपथ पत्र में क्या लिखा है मुझे पता है। मैंने उस पर हस्ताक्षर किये है। प्रतिवादी पूनमाराम मेरे पड़ोसी लगता है। चूनाराम भी हमारे गांव के है। चूनाराम रिश्ते में मेरे कुछ नही लगते है। पड़ोंसी है। उदाराम भी हमारे से जान पहचान है। सोसायटी में मैनेजर थे। अच्छी जान पहचान है और अच्छे संबंध है।

15. प्रकरण में डी0डब्ल्यू—04 की साक्ष्य प्रतिपरीक्षण में अभिकथन किया कि मैं तीसरी तक पढ़ा लिखा हूं। प्रतिवादी पुनमाराम मेरा सगा भाई है। वादी उदाराम को मैं जानता हूं। उदाराम को मैं 20 साल से जानता हूं। पूनमाराम व चूनाराम के सड़क पर 42 फिट जमीन है और लंबाई 317 फिट है। वादी उदाराम ने अपनी जमीन की पैमाईश करवाई तो मुझे पता नहीं। पूनमाराम व चूनाराम ने भूमि की पैमाईश करवाई हो तो मुझे पता नहीं। यह कहना सही है कि मैं इस कोर्ट में आज पहली बार आया हूं। आज मेरे भाई पुनमाराम ने कोर्ट में आने को कहा तब आया हूं। यह कहना गलत है कि वादी उदाराम की जमीन में चूनाराम व पूनमाराम ने जबरदस्ती टावर का निर्माण करवाया हो।
16. प्रकरण में प्रकरण में वादीगण एवं प्रतिवादीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई। वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र के कथनों को दोहराते हुए वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा मौका फर्द दिनांक 30.05.2019 में दर्शायी बरंग लाल भाग पर अवैध एवं अनाधिकृत कब्जा को अवैध कब्जा करार देते हुए प्रतिवादीगण को वादीगण की उक्त अवैध कब्जेशुदा आराजी से बेदखल करते हुए वादी को कब्जा दिलवाकर वादी की खातेदारी आराजी की सुरक्षार्थ प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है। अंत में वादीगण ने वादीगण की खातेदारी आराजी के सम्बन्ध में प्रतिवादीगण के विरूद्ध बेदखली व कब्जा सुपुर्दगी के साथ स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष स्वीकार कर दावा डिक्री किया जावे।

17. प्रकरण में वादीगण अधिवक्ता ने दौराने ए जिरह वादपत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का दावा स्वीकार कर प्रतिवादी को बेदखल करने का निवेदन किया। प्रतिवादीगण अधिवक्ता ने दौराने ए जिरह जवाब दावे में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए वादी का दावा खारिज करने का निवेदन किया।

18. प्रकरण में पत्रावली का अवलोकन किया गया। बहस पर मनन किया गया। प्रकरण में तीन तनकीयात कायम किये गये। प्रकरण का तनकीयात निष्कर्ष किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध घोषित करवाते हुए प्रतिवादी को बेदखल कर कब्जा प्राप्त करने के अनुतोष से संबंधित है।

19. प्रकरण की प्रथम तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण के कब्जा को हटवाने हेतु प्रतिवादीगण को बेदखल किया जाकर वादीगण को कब्जा सुपुर्द करने से संबंधित है। प्रथम तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में सर्वप्रथम प्रथम तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 का उद्धरण यहॉ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> **183. Ejectment of certain trespasser—**
>
> *(1) Not withstanding anything to the contrary in any provision of this Act, a trespasser who has taken or retained possession of any land without lawful authority shall be liable to ejectment, subject to the provision contained in sub-section (2), on the suit of the person or persons entitled to eject him and shall be further liable to pay as penalty for each agricultural year during the whole or any part whereof he has been in such possession, a sum which may extend to fifteen times the annual rent.*
>
> *(2) In case of land which is held directly from the State Government or to which the State Government, acting through the Tehsildar, is entitled to admit the trespasser as tenant, the Tehsildar shall proceed in accordance with the provisions of section 91 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956).*

20. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—183 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—183 के अन्तर्गत किसी अतिक्रमी के किसी भूमि पर अवैध कब्जा होने/करने/कब्जा जारी रखने की स्थिति में उक्त अतिक्रमी उक्त भूमि से बेदखल किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है।

21. प्रकरण में वादीगण द्वारा अपने दावे को पुष्ट करने हेतु प्रदर्श संख्या—03 प्रस्तुत किया है जिसके अवलोकन से स्पष्ट है कि वादी की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा में अवस्थित हैं। प्रदर्श संख्या—05 के अवलोकन से स्पष्ट है कि वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी के पड़ौस में प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/6 तहसील नोखड़ा अवस्थित हैं। प्रकरण में न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गुड़ामालानी द्वारा निर्णित राजस्व वाद की पालना में वादीगण द्वारा अपनी खातेदारी आराजी की नेखमबंदी करवाई। उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ।

22. प्रकरण में वादीगण अनुसार उक्त नेखमबंदी के दौरान वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा स्पष्ट हुआ। वादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटाने हेतु निवेदन किया। परंतु प्रतिवादीगण कब्जा नहीं हटाया। इस कारण वादीगण को द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण का कब्जा को हटवाने हेतु बेदखली व प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष प्राप्त करने हेतु दावा प्रस्तुत किया गया है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

23. प्रकरण में साक्ष्य गवाह के बयानो का अवलोकन किया गया। पी. डब्ल्यू.—1 ने शपथपूर्वक कथन किया है कि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की आराजी के कुछ हिस्से पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा कर रखा है। प्रकरण में डी.डब्ल्यू.—01 ने अभिकथन किया कि प्रतिवादीगण का उक्त भूमि पर वक्त खरीद के समय से ही कब्जा चला आ रहा है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी की किसी आराजी पर कोई अतिक्रमण नहीं किया गया है। प्रतिवादीगण स्वयं की खातेदारी आराजी पर ही काबिज काश्त है।

24. प्रकरण में प्रदर्श संख्या—03 तथा प्रदर्श संख्या—04, 05, 06 के अवलोकन से अनुसार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा तथा प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/6 मौजा अणखिया तहसील नोखड़ा आपस में सेड़े—सेढ़ अवस्थित है। प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। प्रकरण में राजस्व कार्मिकों द्वारा नेखमबंदी की जाकर वादीगण की खातेदारी आराजी की सीमाओं का चिन्हीकरण किया गया है। उक्त नेखमबंदी के विरूद्ध प्रतिवादीगण द्वारा कोई चुनौती नहीं की गई। इससे स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण को उक्त नेखमबंदी स्वीकार है। प्रतिवादीगण द्वारा अपने जवाब व साक्ष्य में यह स्वीकार किया है कि प्रतिवादीगण वक्त खरीद के समय से ही केवल अपनी आराजी पर काबिज—काश्त हैं। उक्त प्रकार से स्पष्ट होता है कि प्रतिवादीगण अपनी खातेदारी आराजी से इत्तर या अधिक रकबे पर वादीगण की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर काबिज काश्त हैं।

25. प्रतिवादीगण का कथन है कि प्रकरण में वादी द्वारा पृथक से कोई मौका रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं की गई है। साथ ही प्रतिवादीगण का वक्त खरीद से कब्जा होने के कारण वादी का वाद म्याद बाहर है। प्रकरण में वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त खरीद के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जा करार दिया जाता है।

26. साथ ही प्रकरण में पत्रावली के अवलोकन तथा साक्ष्य गवाह के अवलोकन से प्रतीत होता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त खरीद के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

साबित नहीं होता है। इस प्रकार प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा मानते हुए प्रतिवादीगण को उक्त कब्जेशुदा आराजी का खातेदार मानने का कोई आधार प्रतीत नहीं होता है। इस प्रकार उक्त प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को अवैध कब्जे के आधार पर अतिक्रमी घोषित किया जाता है। इस संबंध में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—5 (44) के अन्तर्गत अतिक्रमी को निम्न प्रकार परिभाषित किया गया हैः—

> ***(44) "Trespasser"*** *shall mean a person who takes or retains possession of and without authority or who prevents another person from occupying land duly let out to him;*

27. इस प्रकार उक्त विश्लेषण के अनुसार वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर प्रतिवादीगण द्वारा कब्जा किया हुआ है। प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया तहसील नोखड़ा के आंशिक भाग पर किए गए कब्जे को वैध कब्जा साबित करते हुए स्वयं को वैध खातेदार साबित करने के संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं किया गया है। वादी की खातेदारी आराजी के आंशिक भाग पर वक्त खरीद के समय से प्रतिवादीगण का काबिज—काश्त होने मात्र से प्रतिवादीगण का कब्जा वैध कब्जा साबित नहीं होता है। अतः प्रकरण में प्रथम तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार प्रथम तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

28. प्रकरण में द्वितीय तनकी वादीगण की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा जारी करने से संबंधित है। द्वितीय तनकी को सिद्ध करने का भार वादीगण के जिम्मे है। प्रकरण में इस तनकी के विवेचन हेतु तथ्यों का गहन विश्लेषण से पूर्व राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 का उद्धरण यहाँ प्रतीत होता है। जो कि निम्न प्रकार हैः—

> ***188. Injunction against wrongful ejectment—***
> *(1) Any tenant whose right to or enjoyment of the whole or a part of his holding is invaded or threatened to be invaded by his landholder or any other person may bring a suit for the grant of a perpetual injunction.*
> *(2) The court may after making the necessary enquiry grant a perpetual injunction in the following cases, namely-*
> *(a) if there exist no standard for ascertaining the actual damage caused or likely to be caused by the invasion;*
> *(b) if the invasion is such that pecuniary compensation does not afford adequate relief;*
> *(c) where it is probable that pecuniary compensation cannot be got for the invasion.*
> *(d) where the injunction is necessary to prevent a multiplicity of proceedings.*

29. उक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 के अवलोकन से स्पष्ट है कि धारा—188 के अन्तर्गत किसी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारो की आमदरफत में किसी प्रकार का व्यवधान/अतिक्रमण किया जा रहा हो/किया जाने

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

वाला हो उस स्थिति में व्यवधान उत्पन्न/अतिक्रमण करने वाले व्यक्ति को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किए जाने के प्रावधान बनाए गए है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।
2.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।
3.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।
4.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।

30. उक्त विधिक प्रावधानों के परिप्रेक्ष्य में प्रकरण का विश्लेषण किया जाना आवश्यक है। वादी का यह कथन है कि उक्त आराजी पर प्रतिवादीगण द्वारा जबरन कब्जा कर उसके उपयोग व उपभोग में व्यवधान किया जाता है या उस पर निर्माण किया जाता है तो वादीगण को स्पष्ट रूप से नापूर्ति होने वाली क्षति संभावित है। वादीगण का उक्त कथन स्वतः साबित है क्योंकि प्रतिवादी का मुताबिक रिकॉर्ड उक्त आराजी से कोई संबंध व सरोकार होना साबित नहीं है।

31. उक्त प्रकार से स्पष्ट है कि उक्त खातेदारी आराजी वादीगण की निजी खातेदारी आराजी है तथा प्रतिवादीगण का उक्त वादीगण की खातेदारी आराजी से कोई संबंध सरोकार नहीं है। इसी प्रकार राजस्थान काश्तकारी अधिनियम–1955 की धारा–188 की उपधारा–2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु निम्न चार परिस्थितियां बताई गई हैः–

परिस्थिति	विवरण	विश्लेषण
1.	जब हो रहे/होने वाले संभावित अतिक्रमण/व्यवधान /घुसपैठ से होने वाले नुकसान के आंकलन हेतु कोई मानक/मापदण्ड अस्तित्व में नहीं हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति को आंकलित करना संभव प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

1.	जब अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ इस प्रकार का हो कि नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति पर्याप्त राहत/संतुष्टि प्रदान नहीं करता हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु प्रतिवादीगण को पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से वादीगण को होने वाले कई प्रकार के प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष नुकसान की क्षतिपूर्ति हेतु आर्थिक मुआवजा दिया जाना न्यायसंगत प्रतीत नहीं होता है। अतः वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोका जाना आवश्यक प्रतीत होता है।
2.	जब इस तथ्य की संभावना हो कि अतिक्रमण/व्यवधान/घुसपैठ से होने वाले नुकसान की आर्थिक भरपाई/क्षतिपूर्ति की प्रदानगी संभव नहीं होगी।	
3.	जब निषेधाज्ञा राजस्व विवादों की बहुलता को रोकने हेतु आवश्यक हो।	1. प्रकरण में वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण की निजी खातेदारी आराजी परखातेदारी अधिकारों की आमदरफत में प्रतिवादीगण द्वारा व्यवधान उत्पन्न करने से रोकने का स्थाई निषेधाज्ञा का वाद लाया गया है। 2. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में बेदखली के अनेक वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 3. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में मुआवजे के वाद न्यायालय में दायर होते रहेगें। 4. अगर वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादीगण के खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने हेतु पाबंद नहीं किया जाता है तो भविष्य में उभयपक्षकारों के मध्य फौजदारी के प्रकरण सामने आ सकते है। अतः विवादों की बहुलता उत्पन्न होने की प्रबल

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

		संभावना प्रतीत होती है।

32. इस प्रकार स्पष्ट है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होता है। वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर वादी का स्वामित्व व कब्जा साबित होने से सुविधा का सन्तुलन भी वादी के पक्ष में झुकाव रखता है। उक्त विवादित आराजी से प्रतिवादीगण का कोई संबंध व सरोकार नहीं है। साथ ही यदि प्रतिवादीगण द्वारा वादीगण को उक्त आराजी से बेदखल किया जाता है तो वादीगण को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—188 की उपधारा—2 में स्थाई निषेधाज्ञा जारी किए जाने हेतु चार परिस्थितियां भी वादी की खातेदारी आराजी पर खातेदारी अधिकारों की आमदरफत में व्यवधान को रोकने हेतु आवश्यक परिस्थितियां उत्पन्न होना इंगित करती है। इस प्रकार अन्त में उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि वादीगण द्वितीय अनुतोष प्रतिवादीगण के विरूद्ध स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है। अतः प्रकरण में द्वितीय तनकी को साबित करने में वादीगण सफल रहे हैं। इस प्रकार द्वितीय तनकी वादीगण के पक्ष में स्वीकार की जाती है।

33. प्रकरण में तृतीय तनकी वादपत्र में वर्णित वादी की खातेदारी आराजी पर प्रतिवादीगण के कब्जे के रकबे व खसरे का उल्लेख नहीं होने के साथ—साथ प्रतिवादी के वक्त वक्त खरीद के समय से उक्त आराजी पर काबिज—काश्त होने के आधार पर प्रतिवादी का कोई अतिक्रमण नहीं होने के कारण वादी का दावा खारिज करने से संबंधित है। उक्त तनकी को साबित करने का जिम्मा प्रतिवादी का है। प्रकरण में प्रथम व द्वितीय तनकी के वादी के पक्ष में साबित होने से तृतीय तनकी पर पृथक से कोई विश्लेषण अपेक्षित नहीं है। क्योंकि तृतीय तनकी मात्र प्रथम व द्वितीय तनकी का खण्डन मात्र है। अतः प्रतिवादीगण तृतीय तनकी को साबित करने में असफल रहे हैं। अतः

आदेश है कि

वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर 60 गुणा 60 वर्गफिट रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

उक्त निर्णयानुसार पर्चा डिक्री तैयार की जावे।

यह आदेश आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी किया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी–बाड़मेर

(पीठासीन अधिकारी—केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2018 / 00050 दर्ज तिथिः—19.01.2018

1. उदाराम पुत्र खेमाराम
   जति जाट निवासी अणखिया पटवार मण्डल नोखडा तहसील गुडामालानी हाल नोखड़ा जिला बाडमेर।

.....वादीगण

बनाम

1. रिजनल ऑफिसर एयरटेल
   Bharti Hexacom Limited K-21, Sunny House, Malviya Marg, C-Scheme, Jaipur
2. चुनाराम पुत्र मूलाराम जाति जाट निवासी हुडों का तला, नोखडा तहसील गुडामालानी जिला बाडमेर
3. पूनमाराम पुत्र दीपाराम जाति प्रजापत निवासी बुधराणी हुडों की ढाणी, निम्बलकोट तहसील सिणधरी हाल गुड़ामालानी जिला बाड़मेर।

.....असल प्रतिवादी

4. तहसीलदार गुडामालानी हाल नोखड़ा जिला बाडमेर

.....तकमीली प्रतिवादी

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री रिड़मलराम चौधरी
प्रतिवादीगणः—श्री डालूराम चौधरी

वादपत्र अन्तर्गत धारा—183, 188
राजजस्थान काश्त0 अधि0—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

वादी का वादपत्र स्वीकार कर डिक्री जाता है कि वादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 146/5 वाके ग्राम अणखिया पर 60 गुणा 60 वर्गफिट रकबे पर प्रतिवादीगण द्वारा किये गये कब्जे को अवैध करार देते हुए उक्त रकबे तक प्रतिवादीगण को अतिक्रमी घोषित किया जाकर बेदखल किये जाकर कब्जा वादीगण

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested

को सुपुर्द किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। साथ ही प्रतिवादीगण को अपनी खातेदारी आराजी का विधिवत सीमाज्ञान व खातेदारी आराजी के सीमांकन करवाने के पश्चात प्रतिवादीगण को विधिक प्रावधान व प्रक्रिया का पालन किए बिना वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर कार्य काश्त में अर्थात फसल बोने—जोतने, काटने, लाने—ले जाने में रूकावट मजाहमत नहीं करने के साथ ही वादीगण की उक्त खातेदारी आराजी पर वादीगण को बेदखल करते हुए किसी भी प्रकार का निर्माण नहीं करने और कृषि भूमि को अकृषि नहीं बनाने हेतु स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है।

यह डिक्री आज दिनांक 04.12.2025 को लिखवाया जाकर सरे—इजलास सुनाया गयी एवं अधोहस्ताक्षकर्ता की मुहर व हस्ताक्षर से जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी—बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Keshav Kumar Meena
Date: 2025.12.04 17:27:34 IST
Reason: SelfAttested